

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



भारतीय न्यायिक  
Rs. 100  
ONE  
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL



प्रदेश UTTAR PRADESH

भारत Affixed Rs. 100

FW 512650



[संख्या-अ]

राज्य न्यायिक सेवा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

हा भी कर्तव्य है कि यह चयनपत्र को अलग से कोर्टों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।  
यदि आपका पत्र लखनऊ में भेजा जाये तो उसे भेजना होगा।

पत्र-1 यह कि उपरोक्त संख्याओं/दस्तावेजों को अलग-अलग करके भेजा जाये, एक  
संख्या 1185/02/02882/02 व 1185/02/02882/02 का नाम 02882/02 भूमि है।

पत्र-2 यह कि उपरोक्त संख्याओं/दस्तावेजों को अलग-अलग करके भेजा जाये कि वे गेट  
नं. 1185/02/02882/02 व 1185/02/02882/02 का नाम 02882/02 भूमि है।

पत्र-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने की बात जिला में जांच करने में नहीं आता  
है और भूमि विवाद नहीं है।

पत्र-4 यह कि उपरोक्त पत्र पर संख्याओं/दस्तावेजों को अलग-अलग भूमि में गेट नं. 1185/02/02882/02  
व 1185/02/02882/02 का नाम 02882/02 भूमि है।

पत्र-5 यह कि उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने की बात जिला में जांच करने में नहीं आता  
है और भूमि विवाद नहीं है।

पत्र-6 यह कि निर्माण कार्य के लिए उपरोक्त पत्र पर संख्याओं/दस्तावेजों को अलग-अलग भूमि में गेट  
नं. 1185/02/02882/02 व 1185/02/02882/02 का नाम 02882/02 भूमि है।

21/9/23

सुप्रिय

Document submitted by 21/9/23

पारा-7 यह कि इस नुमि एव इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी अस्थापना का ही संचालन किया जायेगा।

पारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश कक्षा के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

पारा-9 यह कि उपरोक्त नुमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, 1988 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं राज्यपालों के आतिथितिक विरोधी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आर्टीक्युलेट आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा।

पारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाएँ एवं कार्टरशाखाएँ आदि को फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

पारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं करीबिया स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/इस्ट द्वारा राज प्रांत के पूर्व का किया जायेगा।

पारा-12 यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्देशों/आदेशों को बलीभागी बनाना कठिनाई। यदि भेरे संस्थान में किसी भी रूप में स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद एवं इण्डिया से सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय क्रियम होगा एवं इसे लागू होगा। इस हेतु भी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

पारा-13 इन धोखा कला/कलाएँ हैं कि भेरे द्वारा भी गयी उपरोक्त सूचना यही निर्देश जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि भी गयी जानकारी एवं अभिलेख/वस्तुनिष्ठ कर्तव्य, कृपयाकृत अथवा दुर्लभपूर्व पाठे जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संपत्त कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी को गयी विधिक कार्यवाही हेतु हम कार्य उपलब्धता लेगे।



N.S. Affixed Rs. : 2

हो अग्रिम  
27/05/2021

हो सचिव  
सुजिता वर्मा

Sri Shalokan Verma / Ghanashyam Verma  
Deponent's Signatures  
Witnessed by Shri Anand Singh / Sumit Verma  
SWORN AND VERIFIED BEFORE ME  
NOTARY PUBLIC

27/5/21

27/5/21

सुजिता वर्मा